हिरासत में लेने से पूर्व ही गटक लिया था बाडीवाश, एक अन्य पीड़िता के सामने आने के बाद की गई कार्रवाई

हाई–वोल्टेज ड्रामा के बाद भवाली व्यापार मंडल का अध्यक्ष गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नैनीताल: युवती से दुष्कर्म और गर्भपात के आरोपित भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार रात उसने पुलिस को देखकर बाडीवाश गटक लिया। पूरी रात पुलिस उसे लेकर तल्लीताल, बीडी पांडे तो कभी हल्द्वानी के चक्कर काटती रही। बुधवार को न्यायालय पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में एक और पीड़िता के सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी की है।

दो माह पूर्व एक छात्रा ने भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात कराने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपित को 23 घंटे हिरासत में भी रखा था। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका पर राहत नहीं मिलने के बाद आरोपित घर से गायब था।

मंगलवार को आरोपित के घर पहुंचने की सूचना पर पुलिस दबिश देने उसके कहलक्वीरा स्थित आवास पहुंची। यहां आरोपित ने हिरासत में लिए जाने से पहले बाडीवाश गटक लिया। नैनीताल में मुंह से झाग निकलता देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उसे बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से एसटीएच रेफर कर दिया गया। उसे स्वस्थ मिलने पर पुलिस सुबह नैनीताल ले आई। जहां उसे न्यायालय पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को बुधवार को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाती मल्लीताल कोतवाली पुलिस ● जागरण

पीड़िता के 164 के बयान करवाकर की काउंसलिंग

आरोपित को न्यायालय पेश करने से पूर्व पुलिस ने न्यायालय में पीड़िता के 164 के बयान दर्ज करवाए। पीड़िता की पुलिस ने काउंसलिंग भी की। पुराने मामले में पीड़िता के पुलिस छह जुलाई को ही 164 के बयान दर्ज करा चुकी है।

> अभियुक्त पर दुष्कर्म व कई अन्य संगीन आरोप हैं। पुलिस महिला अपराधों में जीरो टालरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। आरोपित को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है। यदि कोई अन्य महिला आरोपित के किसी कृत्य के पीड़ित है तो वह सामने आए, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। **मंजूनाथ टीसी**, एसएसपी

नई शिकायत बनी आधार, पुराने केस में बढ़ाई धारा

नैनीताल: पुलिस ने दो माह पूर्व छात्रा की शिकायत पर व्यापार मंडल अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता के ही अक्सर बयान बदलने लगी। 19 मई को पुलिस ने आरोपित को हिरासत में तो लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। दो माह तक जांच में कई साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे। बीते दिनों नैनीताल की ही एक युवती ने पुलिस से संपर्क कर नरेश पांडे पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि नरेश पांडे ने हल्द्वानी के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट की। पुलिस ने पुराने मामले में बीएनएस की धारा 64 व 226 की बढ़ोतरी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

कुवि में प्रवेश के लिए आवेदन का कल अंतिम दिन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। शुक्रवार यानी कल आवेदन का अंतिम दिन है। कुवि की समर्थ नोडल अधिकारी डा. उमंग ने बताया कि अभी तक आवेदन नहीं कर पाए छात्र–छात्राएं समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवा लें। इसके बाद कालेजों के स्तर से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इधर, एमबीपीजी कालेज के प्राचार्य प्रो. एनएस बनकोटी ने बताया कि अभी तक आठ हजार से अधिक विद्यार्थियों ने यूजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। 13 जुलाई से गर्मियों की छुट्टी के बाद महाविद्यालय पूर्व निर्धारित समय से खुलेगा। बताया शनिवार तक प्रवेश समिति का गठन करते हुए विधिवत तैयारी कर ली जाएगी।

अब हिंदी की खबरें अंग्रेजी में भी पढ़ें www.jagranpost.com

स्त्रियों के स्वास्थ्य व निखार के लिए
टेक्नोफार्म का शीकेयर सीरप
• पेडू व कमर दर्द
• चिड़चिड़ापन
• रक्त की कमी
• थकावट • कमजोरी
• कठिन दर्द में दे आराम
MRP. Rs. 198/- 450ML
Also Available TATA 1mg | amazon
8601841515
मिलते जुलते नामों से गुमराह मत होंवे, Techno लिखा देखकर ही लें

मासूम बच्चों की जिंदगी से खेल रहे निजी विद्यालयों के संचालक

महिला सहायक गायब मिलीं, ओवरलोडिंग के साथ बसों में लगे कैमरे टप थे

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से हर चीज का दाम वसूलने वाले निजी स्कूल प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा को लेकर ही गंभीर नहीं है। परिवहन विभाग की चेकिंग में स्कूल बसों में सुरक्षा नियमों और मानकों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। चेकिंग में किसी गाड़ी में सीसीटीवी कैमरे टप मिले तो किसी में स्पीड गवर्नर गायब था। फर्स्ट एड बाक्स में मेडिकल किट नहीं थी कहीं एक्सपायर दवा दिखी।

बुधवार से परिवहन विभाग का दो दिवसीय चेकिंग अभियान शुरू हो गया। सात टीमों ने कालाढूंगी रोड, रामपुर रोड, बरेली रोड, कलक्ट्रेट, लईडन, लामाचौड़ आदि जगहों पर गाड़ियों की चेकिंग की। परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि स्कूली बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। लेकिन कुछ बसों में यह गायब मिली। महिला सहायक की नियुक्ति भी नहीं थी। खराब हालत पर छह गाड़ियों का फिटनेस प्रमाणपत्र को निरस्त करेगा। वहीं, स्कूलों के आसपास बगैर हेलमेट बाइक-स्कूटी चलाने, नाबालिग के ड्राइविंग करने और तीन सवारियों पर कार्रवाई की गई। 135 वाहनों का चालान व 10 को सीज किया गया। चेकिंग में आरआइ अजय गुप्ता, परिवहन कर अधिकारी अनुभा आर्य, अपराजिता पांडे, जगदीश चंद्र, आरसी पंवार, नंदन, गिरीश कांडपाल थे।

हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर स्कूल बसों की चेकिंग करते परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार ● जागरण

अभिभावकों को दी गई सलाह–चार साल से बड़े बच्चे को पहनाओ हेलमेट

सुबह चेकिंग के दौरान कई अभिभावक बच्चों को बाइक और स्कूटी से स्कूल छोड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद परिवहन विभाग ने गाड़ी रोक नियमों की जानकारी दी। कहा कि चार साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को भी छोटा हेलमेट पहनाना जरूरी है।

> स्कूल प्रबंधन को बच्चों से जुड़े वाहनों में सुरक्षा नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। सीसीटीवी, स्पीड गवर्नर, ट्रैकिंग डिवाइस, महिला सहायक, मेडिकल किट अनिवार्य है। लापरवाही पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। –अरविंद पांडे, आरटीओ प्रवर्तन

बिना फिटनेस, बीमा, सीसीटीवी के सड़क पर दौड़ रहीं थीं बसें, चालान

जागरण संवाददाता, रामनगर: नियमों की अनदेखी कर सड़क पर दौड़ रहीं स्कूल बसों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने बुधवार को कार्रवाई की। स्कूलों की 120 बसों की चेकिंग की गई। 24 स्कूल वाहनों के चालान किए गए। एआरटीओ सुरेंद्र कपकोटी के नेतृत्व में टीम ने अलग-अलग मार्गों पर चेकिंग की गई। एआरटीओ के मुताबिक जांच में पांच स्कूल बसों में सीसीटीवी नहीं मिले। चार बसों में फर्स्ट एड बाक्स, तीन में गति सीमा उपकरण, 10 बसों में प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, जबकि तीन बसों में फिटनेस व एक बस बिना परमिट के दौड़ रही थी। दो बसों का बीमा नहीं था।

प्लाट दिलवाने के नाम पर आठ लाख रुपये ठगे, प्राथमिकी दर्ज

संवाद सहयोगी, जागरण, लालकुआं: रेलवे की भूमि में प्लाट आवंटित कराने का झांसा देकर करीब आठ लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है।

पीड़ित की तहरीर पर लालकुआं कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में जवाहर नगर वार्ड नंबर तीन, लालकुआं निवासी [illegible] अंसारी ने बताया कि वर्ष 2018 में उसकी मुलाकात वार्ड नंबर चार निवासी और वर्तमान में [illegible] निवासी वाहिद अली तथा जसीम से हुई थी। आरोप है कि वाहिद अली ने जसीम को पूर्वोत्तर रेलवे का अधिकारी बताते हुए रेलवे की भूमि में प्लाट आवंटित कराने का झांसा दिया।

पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच आरोपियों ने अलग-अलग किस्तों में आनलाइन और अन्य माध्यमों से उससे करीब सात से आठ लाख रुपये ले लिए। इस दौरान उन्होंने कथित रूप से फर्जी रसीदें भी उपलब्ध कराईं। इसके अलावा जल और विद्युत संयोजन के आवेदन के नाम पर 63 हजार पांच रुपये भी वसूल लिए। बाद में आरोपियों ने रेलवे के नाम पर कथित प्लाट आवंटन पत्र और नक्शा भी उपलब्ध कराया। पीड़ित का कहना है कि जब उसने रेलवे विभाग से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि उसके नाम कोई प्लाट आवंटित नहीं किया गया है और उसे दिए गए सभी दस्तावेज फर्जी हैं। इसके बाद आरोपितों से संपर्क कर अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन न तो रुपये लौटाए गए और न ही प्लाट आवंटित कराया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक गौरव जोशी को सौंपी गई है।

साइबर ठगों ने किसान के खाते पार किए 9.79 लाख रुपये, मुकदमा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: मुखानी थाना क्षेत्र निवासी एक किसान से साइबर ठगों ने लाखों रुपये की ठगी की। अज्ञात नंबर से तीन बार काल आने के बाद उसके मोबाइल के सिम ने काम करना बंद कर दिया। बैंक जाकर जानकारी करने पर पता चला कि खाते से 9.79 लाख पार हो गए। अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस साइबर ठगों की तलाश में जुटी है।

मुखानी थाना के लामाचौड़ क्षेत्र निवासी किसान के दो बेटे आस्ट्रेलिया में रहते हैं। एक इंजीनियर तो दूसरा ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ा है। तीन जुलाई की शाम पीड़ित के नंबर पर अज्ञात मोबाइल फोन से काल आई। फोन उठाते ही काल काट दी जा रही थी। थोड़ी देर में पीड़ित का बैंक में पंजीकृत नंबर का सिम बंद हो गया। बाद में बैंक में जानकारी लेने पर पता चला कि खाते से लाखों रुपये गायब हो गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ठगों ने रकम को किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करने की बजाय आनलाइन शापिंग वेबसाइट के माध्यम से खरीदारी की है। पुलिस अब इसी सुराग से आगे पर जांच कर रही है।

KALYAN SINGH SUPER SPECIALTY CANCER INSTITUTE
C.G. City, Sultanpur Road, Lucknow-226002
Website: https://cancerinstitute.edu.in, Email: jdmm.sscih@gmail.com
TENDER NOTICE
Offers are invited through GeM bidding from Original Equipment Manufacture/Direct Importers/Authorized Distributors (declared by principal firm only) for the supply & installation of various Medical Equipment/Items for the various departments of the Institute.
The Vendors are required to submit their offers on GeM portal only in two bids system i.e. Technical and Financial bid as per norms of GeM Portal.
For more detailed information you may please visit the GeM portal www.gem.gov.in. The list of the equipment will also be available on our website https:// cancerinstitute.edu.in for reference only. The offer will be accepted only on GeM portal with terms and conditions as mentioned against bidding documents.
The Director reserves the right to accept or reject any tender in part or full without assigning any reason thereof.
Advt No. KSSSCI/Tender-08/2026-27 Joint DIRECTOR (MM)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड
चन्दर नगर, पो.ओ. सुभाष रोड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
ई-मेल : dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष: 0135–2608763, फैक्स : 0135–2608746
पत्र संख्या:– 15प/भण्डार/09/2026/26311 दिनांक 07.07.2026
ई–प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना उत्तराखण्ड सरकार
1. कार्य का नाम – Supply of Medicine under Rate contract For various hospitals in Uttarakhand. as per details given in tender notice on https://uktenders.gov.in portal.
2. निविदा प्रपत्र पोर्टल में उपलब्ध होने की तिथि एवं समय : 09/07/2026 अपराह्न 3:00 बजे।
3. पोर्टल से निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय : 23/07/2026, अपराह्न 3:00 तक।
4. निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम व पता – महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संशोधन/निरस्तीकरण आदि की सूचना वेबसाईट https://uktenders.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
6. पोर्टल रजिस्ट्रेशन – समस्त इच्छुक निविदादाताओं जो निविदा में प्रतिभाग करना चाहते है वे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने हेतु अपने वैध व्यक्तिगत/कार्यालय के ई–मेल को अपना Login id बनाकर अपने वैध Digital Signature Certificate (डी0एस0सी0) का उपयोग कर उसे Unique Login id बना सकते है।
किसी अन्य जानकारी के लिए निविदादाताओं से आग्रह है कि वे e-mail id - cmsd.uk@gmail.com/cmsdnhm@gmail.com द्वारा जानकारी/सम्पर्क कर सकते है।
महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून
आर.सी. संख्या 180/2026 दिनांक: 25.06.2026
पंजाब एंड सिंध बैंक – सर्टिफ़िकेट होल्डर बनाम
मैसर्स आर.के. एंटरप्राइजेज (प्रोप्राइटर श्रीमती कविता नागला) और अन्य – सर्टिफ़िकेट देनदार
मांग सूचना
सेवा में,
सीडी नंबर 1 श्रीमती कविता नागला, प्रोप्राइटर मैसर्स आर.के. एंटरप्राइजेज, पता ई–7 WN 16 देव होम्स, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर–263153, उत्तराखंड।
सीडी नंबर 2 राजेंद्र सिंह, पुत्र श्री इंद्रजीत सिंह, निवासी ई–7 WN 16 देव होम्स, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर–263153, उत्तराखंड।
सीडी नंबर 3 गुरदीप सिंह, पुत्र श्री इंद्रजीत सिंह, निवासी पंजाबी कॉलोनी WN 10, तहसील किच्छा, जिला उधम सिंह नगर–263153, उत्तराखंड।
डी.आर.टी., देहरादून के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओ.ए. नंबर 57/2025 में जारी रिकवरी सर्टिफ़िकेट के अनुसार, आप पर (संयुक्त रूप से और अलग–अलग) रू0 20,38,168.33/– (बीस लाख अड़तीस हजार एक सौ अड़सठ रुपये और तैंतीस पैसे) की राशि बकाया है। इसके साथ ही, 25.12.2024 से वसूली होने तक पेंडेंट–लाइट (मुकदमे के दौरान का) और साधारण ब्याज भी देय है, जिसकी दरें इस प्रकार हैं: पहले वर्ष के लिए 7.00% सालाना, दूसरे वर्ष के लिए 8.00% और दूसरे वर्ष के बाद शेष राशि पर 9.20%, साथ ही रू0 29,005/– की लागत भी देय है।
आपको निर्देश दिया जाता है कि इस नोटिस के मिलने के 15 दिनों के भीतर ऊपर बताई गई राशि जमा करें; ऐसा न करने पर नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
आपको आगे की कार्यवाही के लिए 21.10.2026 को सुबह 10:30 बजे नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
ऊपर बताई गई राशि के अलावा, आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा:
क) इस निष्पादन कार्यवाही (एक्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स) के नोटिस के ठीक बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।
ख) इस नोटिस को तामील कराने (पहुंचाने) और बकाया राशि की वसूली के लिए की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं में होने वाले सभी खर्च और शुल्क।
रिकवरी अधिकारी
ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून
आर.सी. संख्या 183/2026 दिनांक: 22.06.2026
पंजाब एंड सिंध बैंक – सर्टिफ़िकेट होल्डर बनाम
लक्ष्मण सिंह और अन्य – सर्टिफ़िकेट देनदार
मांग सूचना
सेवा में,
सीडी नंबर 1 लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी ग्राम खानपुर पश्चिम, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड–263152। (चूंकि मृतक और अब उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया गया है)
सीडी नंबर 1/1. अमर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी ग्राम खानपुर पश्चिम, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड–263152।
सीडी नंबर 1/2. कन्हैया सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी ग्राम खानपुर पश्चिम, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड–263152।
सीडी नंबर 1/3. श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री भूप सिंह, निवासी ग्राम खानपुर पश्चिम, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड–263152।
सीडी नंबर 2 विजय पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम खानपुर पश्चिम, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड–263152।
सीडी नंबर 3 यशपाल पुत्र श्री मन्ना सिंह, निवासी मकान नंबर 16, ग्राम नंदपुर, गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड–263152।
डी.आर.टी., देहरादून के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओ.ए. नंबर 181/2025 में जारी रिकवरी सर्टिफ़िकेट के अनुसार, आप पर रू0 24,12,991.24 (चौबीस लाख बारह हज़ार नौ सौ इक्यानवे रुपये और चौबीस पैसे) की राशि; सीडी नंबर 1 और सीडी नंबर 3 (संयुक्त रूप से और अलग–अलग) और सीडी नंबर 1/1, सीडी नंबर 1/2 और सीडी नंबर 1/3 (दायित्व: मृतक उधारकर्ता/गिरवी रखने वाले की विरासत से उन्हें मिली संपत्ति तक सीमित) के लिए राशि देय है। इसके साथ ही, 22.02.2025 से वसूली होने तक पेंडेंट–लाइट और सालाना साधारण ब्याज (पहले साल 7.00%, दूसरे साल 8.00% और दूसरे साल के बाद बाकी बची राशि पर 11.00%) और रू0 27,005 का खर्च भी आपको देना होगा।
आपको निर्देश दिया जाता है कि इस नोटिस के मिलने के 15 दिनों के भीतर ऊपर बताई गई राशि जमा करें; ऐसा न करने पर नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
आपको आगे की कार्यवाही के लिए 05.10.2026 को सुबह 10:30 बजे नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
ऊपर बताई गई राशि के अलावा, आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा:
क) इस निष्पादन कार्यवाही (एक्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स) के नोटिस के ठीक बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।
ख) इस नोटिस को तामील कराने (पहुंचाने) और बकाया राशि की वसूली के लिए की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं में होने वाले सभी खर्च और शुल्क।
रिकवरी अधिकारी
ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून
आर.सी. संख्या 181/2026 दिनांक: 25.06.2026
पंजाब एंड सिंध बैंक – सर्टिफ़िकेट होल्डर बनाम
मैसर्स महल सिंह और अन्य – सर्टिफ़िकेट देनदार
मांग सूचना
सेवा में,
सीडी नंबर 1 महल सिंह, पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी गाँव हरैया कलाँ, अनवरिया, बिलासपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।
सीडी नंबर 2 अमृत पाल सिंह, पुत्र श्री महल सिंह, निवासी गाँव जसपुर खुर्द, नींझका तहसील काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।
सीडी नंबर 3 सलवंत सिंह, पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी गाँव जसपुर खुर्द, नींझका तहसील काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।
डी.आर.टी., देहरादून के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओ.ए. नंबर 158/2025 में जारी रिकवरी सर्टिफ़िकेट के अनुसार, आप पर (संयुक्त रूप से और अलग–अलग) रू0 26,13,258.46/– (छब्बीस लाख तेरह हज़ार दो सौ अट्ठावन रुपये और छियालीस पैसे) की राशि बकाया है। इसके साथ ही, 22.02.2025 से वसूली होने तक पेंडेंट–लाइट (मुकदमे के दौरान का) और साधारण ब्याज भी देय है, जिसकी दरें इस प्रकार हैं: पहले वर्ष के लिए 7.00% सालाना, दूसरे वर्ष के लिए 8.00% और दूसरे वर्ष के बाद शेष राशि पर 11.00%, साथ ही रू0 29,005/– की लागत भी देय है।
आपको निर्देश दिया जाता है कि इस नोटिस के मिलने के 15 दिनों के भीतर ऊपर बताई गई राशि जमा करें; ऐसा न करने पर नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
आपको आगे की कार्यवाही के लिए 22.10.2026 को सुबह 10:30 बजे नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
ऊपर बताई गई राशि के अलावा, आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा:
क) इस निष्पादन कार्यवाही (एक्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स) के नोटिस के ठीक बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।
ख) इस नोटिस को तामील कराने (पहुंचाने) और बकाया राशि की वसूली के लिए की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं में होने वाले सभी खर्च और शुल्क।
रिकवरी अधिकारी
ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा : क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रथम तल क्षेत्रीय कार्यालय, रुद्रपुर, गाबा चौक के पास, काशीपुर रोड, रुद्रपुर- 263153
ई–नीलामी सूचना
चल/अचल संपत्तियों की नीलामी सूचना "परिशिष्ट IV-A" 6(2) और/या 9(1) देखें
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुन: निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित 6(2) और/या 9(1) के अधीन बैंक को बंधक रखी चल/अचल संपत्तियों की ई–नीलामी
सर्वसाधारण को साधारणतया एवं ऋणी एवं जमानतदार को विशेषतया यह सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित संपत्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बंधक है एवं जिसका कब्जा बैंक के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया है एवं बैंक की बकाया राशि मय ब्याज, खर्चे एवं कीमत इत्यादि सहित वसूलने हेतु निम्न शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत ई–नीलामी द्वारा विक्रय की जा रही है। निम्न वर्णित संपत्तियां "जहां है जैसी है एवं जो है जैसी है" के आधार पर ई–नीलामी के द्वारा विक्रय की जायेंगी। बकाएदार/जमानतदार/सम्पत्ति/यों का विवरण/बकाया धनराशि/रिजर्व प्राईज/ ई–नीलामी की तिथि एवं समय, आरक्षित मूल्य एवं न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	रिजर्व प्राईज / ईएमडी / न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि	दिनांक एवं ई–नीलामी के प्रारम्भ का समय / कब्जे का प्रकार	मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि / बकाया धनराशि
सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का कानूनी नोटिस					
1.	1. मैसर्स श्री गुरु गोपाल चंद स्टोर, द्वारा इसके प्रोपराइटर श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण चंद, पता– वार्ड नं. 7, जाफरपुर रोड, दिनेशपुर, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर– 263160 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण चंद (प्रोपराइटर, मैसर्स श्री गुरु गोपाल चंद स्टोर), पता– वार्ड नं. 7, जाफरपुर रोड, दिनेशपुर, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर– 263160 3. श्री मणि मोहन विश्वास पुत्र श्री शिशु रंजन (जमानती), पता– वार्ड नं. 7, जाफरपुर रोड, दिनेशपुर, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर– 263160 4. श्री नंद गोपाल सरकार पुत्र श्री आदित्य सरकार (जमानती), पता– वार्ड नं. 7, जाफरपुर रोड, दिनेशपुर, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर– 263160	बंधक अचल सम्पत्ति (वाणिज्यिक सह–आवासीय सम्पत्ति) के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता सं. 000141, खसरा सं. 710 घ, ग्राम– चंदायन, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रफल 133.82 वर्ग मीटर। सम्पत्ति उप निबंधक बाजपुर के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द 254/367, पृष्ठ 97 से 164, सेल डीड सं. 2503, दिनांक 12.11.2002 के माध्यम से श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण चंद के नाम पर विधिवत दर्ज है। सीमायें– उत्तर में सतीश कुमार की भूमि, दक्षिण में उपेंद्रनाथ मंडल की भूमि, पूरब में जाफरपुर रोड, पश्चिम में अन्य की संपत्ति।	₹ 79,00,000.00 ईएमडी ₹ 7,90,000.00 न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि ₹ 25,000.00	28.07.2026 अपरान्ह 12:00 से सायं 05:00 कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	30.09.2025 10.12.2025 ₹ 1,27,63,914.64 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख तिरसठ हज़ार नौ सौ चौदह एवं पैसे चौसठ मात्र) + ₹ 5,53,799.41 (रुपये पांच लाख तिरपन हज़ार सात सौ निन्यानवे एवं पैसे इकतालिस मात्र) (अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट) + दिनांक 25.09.2025 से अनअप्लाइड इंटरेस्ट + कानूनी शुल्क + अन्य शुल्क एवं उस पर आगे ब्याज
2.	1. मैसर्स शुभम एंटरप्राइजेज, द्वारा इसके प्रोपराइटर श्री शुभम चटर्जी पुत्र श्री मुकेश कुमार, पता– वार्ड नं. 7, जाफरपुर रोड, दिनेशपुर, तहसील– गदरपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर– 263160 2. श्री शुभम चटर्जी पुत्र श्री मुकेश कुमार (प्रोपराइटर, मैसर्स शुभम एंटरप्राइजेज), पता– वार्ड नं. 7, जाफरपुर रोड, दिनेशपुर, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर– 263160 3. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण चंद (जमानती), पता– वार्ड नं. 7, जाफरपुर रोड, दिनेशपुर, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर– 263160	बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता सं. 00025, खसरा सं. 710 का मिन, ग्राम– चंदायन, तहसील– गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर में स्थित है। सम्पत्ति उप निबंधक बाजपुर के कार्यालय में क्रमांक सं. 5674, गिफ्ट डीड, दिनांक 12.10.2022 के माध्यम से शुभम चटर्जी के नाम पर दर्ज है। क्षेत्रफल 549.31 वर्ग मीटर। सीमायें– पूरब में दानकर्ता का प्लॉट, पश्चिम में रास्ता 15 फीट चौड़ा, उत्तर में अमरजीत का प्लॉट, दक्षिण में अनूप हलधर का प्लॉट।	₹ 1,04,00,000.00 ईएमडी ₹ 10,40,000.00 न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि ₹ 25,000.00	28.07.2026 अपरान्ह 12:00 से सायं 05:00 कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	14.01.2025 10.12.2025 ₹ 34,99,430.33 (रुपये चौंतीस लाख निन्यानवे हज़ार चार सौ तीस एवं पैसे तैंतीस मात्र) + ₹ 55,846.40 (रुपये पचपन हज़ार आठ सौ छियालीस एवं पैसे चालीस मात्र) (अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट) + अनअप्लाइड इंटरेस्ट + कानूनी शुल्क + अन्य शुल्क (12.01.2025 से लागू)

विक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाईट https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htmtl एवं https://banknet.com देखें। भावी बोली दाता प्राधिकृत अधिकारी, मो0–8477000519, 8477009621, से भी सम्पर्क कर सकते हैं। नोट : किसी भी त्रुटि या विवाद की स्थिति में इस नीलामी नोटिस का अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 09.07.2026 को प्रकाशित नोटिस मान्य होगा।
नियम एवं शर्तों के लिए कृपया QR स्कैन करें
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय : 21.07.2026 को अपराह्न 12 बजे से सायं 05:00 बजे तक
एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरिवर्णित राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों सहित नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।
दिनांक : 07.07.2026 स्थान : बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, रुद्रपुर **प्राधिकृत अधिकारी**

अग्रवाल क्लीनिक एवं नर्सिंग होम
NABH Certified Hospital
(16 वर्षों से आपके विश्वास के साथ)
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
डॉ. रजनी अग्रवाल
लैप्रोस्कोपिक सर्जन
एम.बी.बी.एस., एम.एस. (Obs Gynae)
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है
गर्भाशय व अण्डाशय लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदे
• कम रक्तस्राव • कम दर्द
• जल्दी रिकवरी • कोई निशान नहीं
लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टेक्टॉमी
• ओवरी की सिस्ट की सर्जरी
• गर्भाशय की गांठ व रसौली की जांच व ऑपरेशन
• बिना गर्भाशय हटाये रसौली का ऑपरेशन
इम्पैनलमेंट All Medical Health Insurance Cash-Less इलाज की सुविधा
हैल्पलाइन नं. 9012775790 9997260621
TPA हैल्पलाईन नं. 8650515678
महेश नगर, नवाबी रोड, हल्द्वानी Ph. 05946-283334